शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/12835/स्था/राज/एम.सी./विज्ञप्त/2018 रीवा, दिनांक 24/7/18

// विज्ञप्ति //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2–53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अन्तर्गत स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के अधीन दन्त रोग विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक 6687/स्था/राज/एम.सी./2018 रीवा, दिनांक 10.04.2018 को निरस्त करते हुए नवीन विज्ञप्ति जारी की जाती है। उक्त पद पर सीधी भर्ती हेतु निम्नलिखित रिक्तियों पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :–

स. क्र.	विभाग का नाम	पद नाम	रिक्त पदो की संख्या			
			UR	ST	SC	OBC
1	Dentistry	Assistant Professor	02	00	00	00

उपरोक्त चिन्हित पदों में SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग, हेतु आरक्षित है।

– पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया से प्राप्त निर्देशानुसार दन्त चिकित्सा विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद **हेतु शैक्षणिक/ शैक्षिक/रिसर्च योग्यता निम्नानुसार है :–**

POST	ACADEMIC QUALIFICATION	TEACHING/RESEARCH EXPERIENCE
Asstt. Prof. (Dentistry)	M.D.S.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as resident/ Registrar/ Demonstrator/ Tutor

आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक **07.08.2018** को सायं 05:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे। विलम्ब से प्राप्त एवं अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

टीप :– विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट **www.ssmcrewa.com** पर उपलब्ध है।

मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में सीधी भर्ती द्वारा सहायक प्राध्यापक पदों की पूर्ति संबंधी आवश्यक विवरण

1. **वेतनमान – नियमित नियुक्ति हेतु**
   सहायक प्राध्यापक – 15600–39100 + ग्रेड पे 7000 + डी0ए0
   टीप – राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।
2. **आयु सीमा न्यूनतम – 25 वर्ष**
   टीप – आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।
3. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
   - **जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।**
4. **अर्हतायें :–**

   मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया से प्राप्त निर्देशानुसार दन्त चिकित्सा विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद हेतु शैक्षणिक/ शैक्षिक/रिसर्च योग्यता निम्नानुसार है :–

POST	ACADEMIC QUALIFICATION	TEACHING/RESEARCH EXPERIENCE
Asstt. Prof. (Dentistry)	M.D.S.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as resident/ Registrar/ Demonstrator/ Tutor

5. **निरर्हतायें :–**
   - **5.1** विकृत चित्त वाला होने पर
   - **5.2** दुश्चरित्र होने पर
   - **5.3** शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
   - **5.4** नियुक्ति के लिये प्रयास/ अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास / अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
   - **5.5** विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/ पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/ महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/ पति हो, ऐसे महिला/ पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
   - **5.6** कूट रचित/ फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/ अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
   - **5.7** कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
   - **5.8** ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

5.9 स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात शरीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया जाय तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

5.10 म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार ।

6. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर की जावेगी।
7. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरूद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा और ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत पात्र अभ्यार्थी आवेदन करते हैं तो साक्षात्कार में उपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति में प्राथमिकता दी जा सकेगी।
8. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्त्तव्यों का तथा समय–समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
9. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।
10. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवायें देनी होगी। आवेदक को इस बावत् सम्यक रूप से स्टाम्पित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन /मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।
11. मध्यप्रदेश शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रतिनियुक्ति के लिये मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।
12. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :–** स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में आवेदन पत्र दिनांक 07.08.2018 सायं 05:00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
14. **आवेदन शुल्क :–** अनारक्षित श्रेणी अभ्यार्थी से रू. 1000/– तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यार्थी (अजा, अजजा एवं अपिव) से रू. 750/– का बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा **(CEO & Dean, SSMC Rewa)** के नाम देय होगा। निर्धारित आवेदन शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
15. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट www.ssmcrewa.com पर उपलब्ध है।

महत्त्वपूर्ण टीप :– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें एवं शर्तो को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने से पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन करें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी। आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच लम्बित न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र (जो कि आवेदन के प्रारूप में दिया गया है) देना अनिवार्य होगा।

मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

आवेदन का प्रारूप

.............................के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन–पत्र (अंतिम तिथि   /   / 2018)

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

स्वप्रमाणित फोटो

1. आवेदक का नाम ....

2. पुरूष / महिला ....

3. पिता / पति का नाम (उपनाम सहित)..

4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित)..

....

शहर का नाम.............................. फोन नं...............................

मोबाइल नं............................... ईमेलआईडी..............................

5. स्थाई पता..

....

शहर का नाम.............................. फोन नं...............................

मोबाइल नं..

6. आधार कार्ड नम्बर (हो तो)..............................

7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें)..............................

8. दिनांक / /2018 को आवेदक की आयु .... दिन .... माह .... वर्ष

9. आवेदक की वैवाहिक स्थिति– विवाहित/अविवाहित

10. विवाह का दिनांक– ....

11. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग.................. (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

12. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक ....

अ. (एम.बी.बी.एस.)–

ब. एमडी / एमएस–

स. एमसीएच / डीएम–

13. शैक्षणिक योग्यताएँ — (प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था / बोर्ड / वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	एम.बी.बी.एस. के कुल प्राप्तांक / प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	2	3	4	5	6	7	
1	MBBS First Prof.						
2	MBBS Second Prof.						
3	MBBS Final Part I						
4	MBBS Final Part II						
5.	MD/MS/MCH/DM						
6.	S.R.						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक–पृथक भरें)

नोट: प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

14. शैक्षणिक अनुभव :—

क्रमांक	पदनाम	शैक्षणिक अनुभव
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	
4	ट्यूटर / प्रदर्शक	

15. रिसर्च पब्लिकेशन :—

क्रमांक	पदनाम	रिसर्च पब्लिकेशन
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	
4	ट्यूटर / प्रदर्शक	

16. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची ——————————————————

स्थान.............................. आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक..............................

// घोषणा–पत्र //

3. मैं प्रमाणित करता / करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र / नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
4. मैं प्रमाणित करता / करती हूं कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर